तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22-3-22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना पत्र O-7 R-11 व धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नाखोरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

10 / दावा / 2021
दायरा दिनांक 06.01.2021

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

बउनवान

1. ब्रहमानन्द आ0 सूरजकरण जाति ब्राहम्ण निवासी घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. विष्णु कुमार आ0 सूरजकरण जाति ब्राहम्ण निवासी घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. शिव कुमार आ0 सूरजकरण जाति ब्राहम्ण निवासी घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. हनुमान आ0 सूरजमल जाति ब्राहम्ण निवासी घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—वादीगण

बनाम

1. मांगी बाई पुत्री रामप्रताप पत्नि किशनबिहारी जाति ब्राहम्ण निवासी छीपों के मन्दिर के पास करकरा बाजार वार्ड नं0 13 केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0।
2. शांति बाई बेवा रामप्रताप जाति ब्राहम्ण निवासी छीपों के मन्दिर के पास करकरा बाजार वार्ड नं0 13 केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा केशवरायपाटन जिला बून्दी राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार साहब जिला बून्दी राज0।

— प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित :— 1.दिनेश शर्मा एडवोकेट (वादी)
2. श्री प्रकाशचन्द्र भण्डारी एडवोकेट(प्रतिवादी)

—: निर्णय :—

दिनांक :—22.03.2022

प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी।

अप्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट.में प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण में संक्षिप्त तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार से है कि अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

(वादीगण) ने न्यायालय हाजा में ग्राम घाट का बराना स्थित आराजी खसरा नं0 1209/1, 1260/1, 549/1, 551, 552, 865/1, 978/1 कुल किता 7 कुल रकबा 5.31 हैक्ट0 के सबंध में रा0 का0 अधि0 1955 की धारा 88,89, 188 के तहत अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद–पत्र पेश किया। वाद–पत्र अनुसार उक्त आराजी वर्तमान में प्रार्थी प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह भूमि अप्रार्थी (वादीगण) के नाम घाट का बराना स्थित आराजी खसरा नं0 1209/2, 1260/2, 546, 547, 548, 549/2, 552/2, 865, 866, 978/2 कुल किता 10 कुल रकबा 5.52 हैक्ट0 भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण 1–2 के दादा चन्दालाल एवं उनके भाई रूघनाथ के नाम हिस्सा बराबर 1/2, 1/2 दर्ज रिकार्ड थी।श्री रूघनाथ के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 232 दिनांक 05.01.1982 निर्णित किया गया।उसमे रूघनाथ का हिस्सा 1/2 वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 दोनो के पिताओं रामप्रताप व सूरजकरण के नाम खोल दिया गया। जबकि मृतक रूघनाथ ने अपनी चल–अचल सम्पति की वसीयत वादीगण के पिता सूरजकरण के पक्ष में की थी। नामान्तकरण में पटवारी हल्का (तत्समय) द्वारा मृतक रूघनाथ के एकमात्र गोदीपुत्र वारिस सूरजकरण होना सबंधी टिप्पणी करते हुये उसके नाम दर्ज किया है।परन्तु तत्कालीन सर्किल कानूनगों ने इस बाबत् लिखित दस्तावेज नही होने की टिप्पणी करते हुये।

नामान्तकरण रामप्रताप व सूरजकरण दोनो के नाम दर्ज करने बाबत टिप्पणी की है एवं राजस्व अधिकारी ने नामान्तकरण निर्णय करते हुए रामप्रताप व सूरजकरण नाऔलाद फौत हुए रूघनाथ की सम्पति का हकदार मानते हुए निर्णय किया है।इसके बाद समस्त भूमि का रामप्रताप व सूरजकरण की सहमति से बंटवारा करने हेतु तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.09.1998 को नामान्तकरण तस्दीक कर खाते पृथक–पृथक कर दिये गये। इस प्रकार पिता के नाम पर की गयी वसीयत के आधार पर उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष वादीगण द्वारा चाहा गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वाद–पत्र का लिखित जवाब देने के पश्चात् प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी का इस आधार पेश किया कि संदर्भित दावा अवधि बाधित है। कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता ,वादी के वाद–पत्र में परस्पर विरोधी – गोदपुत्र व वसीयत होने सबंधी तथ्य अकिंत है।वादीगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में रूघनाथ के फौती नामान्तकरण एवं सहमति खाता विभाजन की कार्यवाही व उसके अनुसार स्वीकृत नामान्तकरण के विरूद्व कोई कार्यवाही नही की तो वादीगण को अब कोई कार्यवाही करने का अधिकार नही है।वादीगण के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। वसीयत के सबंध में कार्यवाही करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को है गोदीपुत्र सबंधी अधिकारों को घोषणा दीवानी न्यायालय का क्षेत्र है।सहमति से किये गये बंटवारे के सबंध में सहमतिकर्त्ता वादीगण के पिता द्वारा कोई आपत्ति अपने जीवनकाल में नही की गयी। मृतक रूघनाथ के भूमि के हकदार व हकदारों के मध्य सहमति से हुये बंटवारे के तत्समय पक्षकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा कोई आपत्ति पेश नही करने से अतिंम हो चुका है।इस प्रकार ऐसे रेस ज्यूडिकेटा के तहत चलाने योग्य नही है।

अप्रार्थी (वादीगण) ने आदेश 7 नियम 11 का जवाब पेश करते हुए लिखित कथन किया कि घर में रखे पुराने कागजात देखने पर वसीयत होना जानकारी में आया और

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

अविलम्ब दावा पेश कर दिया।इसलिए वाद अवधि बाधित नही है। वसीयत का पजीकृत होना आवश्यक नही है।पक्षकारों के मध्य कोई निर्णय नही हुआ है।इसलिए उसे रेस ज्यूडीकेटा कहना विधि सम्मत नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के सिद्वातों के विपरीत है इसलिए खारिज करने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र किसी भी चरण पर पेश किया जा सकता है।दावे में वाद कारण के सबंध में स्पष्ट तथ्य नही है। विवादित आराजियात के सबंध में समस्त कार्यवाही यथा विरासत का नामान्तकरण एवं खाता विभाजन अप्रार्थी (वादीगण) के पिता की जानकारी व सहमति से हुई और जिनके सबंध में उन्होने अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति या विरूद्व कार्यवाही नही की। ऐसे में अप्रार्थीगण को कोई अधिकार ही उत्पन्न नही हुए तो उनके विरूद्व वाद कारण उत्पन्न नही हुआ। अप्रार्थी ने वाद कारण के संबंध में कथन किया है कि वाद कारण दिनांक 01.11.2020 से एक माह पूर्व उन्हे रूघनाथ जी द्वारा उनके पिता के पक्ष में की गयी वसीयत की जानकारी आना बताया है। संदर्भित विवादित आराजी के एकल पृथक खातेदार प्रतिवादीगण के पिता वर्ष 1998 से है एवं प्रतिवादीगण दिनांक 05.09. 2012 से इस भूमि पर काबिज काश्त खातेदार है। एवं वादीगण के पिता का देहावसान सन् 2013 में हुआ इस प्रकार किसी अन्य खातेदार की भूमि जिस पर वो सन् 1998 से काबिज काश्त खातेदार है।उसके क्रय करने देखने आने से वाद कारण उत्पन्न होना सबंधी कथन तथ्य व रिकार्ड से परे पूर्ण रूपेण काल्पनिक है। प्रकरण में विवादित आराजी के सबंध में ये मान भी लिया जावे कि किसी प्रकार के अधिकार थे तो भी वो प्रतिवादीगण के पिता के हो सकते थे। परन्तु पिता द्वारा जीवनकाल में विरासत के नामान्तकरण व सहमति के विभाजन बाबत् कोई आपत्ति कही भी प्रस्तुत नही की तो इससे यह स्पष्ट है कि उन्होने ने उक्त सभी कार्यवाही को सही माना।

वसीयत के आधार पर किसी प्रकार की उदघोषणा करने की क्षेत्राधिकारिता न्यायालय हाजा की नही है।वसीयत संवत 2037 में होना बताते हुए नामान्तकरण के वक्त पिता द्वारा पेश करने संबधी कथन वाद–पत्र में किया है साथ ही दिनांक 01.11.2020 को वसीयत के सबंध में जानकारी होना सबंधी विरोधाभासी कथन किया है। जो कि वसीयत गलत होने को ईशारा करता है।राजस्थान राजस्व कोड मेन्युअल अनुसार तहसीलदार को भी न्यायालय माना है एवं रा0भू0 राजस्व अधि0 1956 की प्रथन अनुसूची में न्यायिक मामलों में ङ0सं0 07 पर विरासत व अंतरण वर्गे0 के आधार पर नामान्तकरण सूचीबद्व है।इसलिए संदर्भित विवादित आराजी विषय में पक्षकारों (जिनसे अधिकार व्युत्पन्न हुए) के विरासत व बंटवारें के विषय में निर्णय तहसीलदार द्वारा किया जा चुका है और पक्षकारान ने आपत्ति नही की है।ऐसे में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 रेस ज्यूडीकेटा प्रकरण में लागू होता है। इसलिए वाद–पत्र खारिज किया जावे।प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने कथन को पुष्टि हेतु न्यायिक दृष्टांत RRT 2019(1) 417, RRT 2018(1), 283, CJ 2020 (2) 346, RRT 2016 (2) 1099, RRT 2016(1) 622, RRT 2016(1) 258, RRT 2011–12 (supp) 667 पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि प्रतिवादी को यह प्रार्थना–पत्र पेश करने का अधिकार नही है। मियाद संबंधी प्रश्न साक्ष्य के बाद तय होगा, वाद गुण–अवगुण की जांच बिना प्रारम्भिक स्तर पर खारिज नही किया जा सकता रेस ज्यूडीकेटा प्रश्न कानूनी है। जो साक्ष्य पश्चात निर्धारित किया जाना चाहिए, घोषणा के वाद में मियाद लागु नही हो तो वादपत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर वाद खारिज नही हो सकता प्रार्थनापत्र पर आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान अनुसार नही होने से खारिज किया जाने का निवेदन करते हुए अपने पक्ष की पुष्टि हेतु पूर्व न्यायिक दृष्टांत RRT 2011(2) 1395 DNJ 2016 (4)1733, RRT 2014(2)1076, RRT2014(2) 1224, RRJ 2011(1) 101, RRT 2011 (1)237, RRT 2011 (1) 367 पेश किये।

पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन करने के बाद पाया कि अप्रार्थी (वादीगण) अपने पिता के पक्ष में उनके (वादीगण) दादा के भाई द्वारा की गई वसीयत के आधार पर उदघोषणा चाहते है।परन्तु वसीयतकर्त्ता की मृत्यु से पूर्व लिखी होना बतायी गयी वसीयत की वसीयत ग्रहयता को जानकारी होना वाद–पत्र के पैरा 6 में अकिंत कथन कि "वादीगण के पिता सूरजकरण जी ने मृतक रघुनाथ जी के हाथ से लिखित तहरीर को पेश किया था। जिसको प्रतिवादी क्रम 1 के पिता व प्रतिवादी क्रम 2 के पति रामप्रताप ने मिली भगत कर मृतक रघुनाथ को लिखित वसीयत तहरीर को हटवा दिया गया और लिखित वसीयत तहरीर के अभाव में वादीगण के पिता के साथ रामप्रताप का नाम भी जोड दिया" से सुस्पष्ट है एवं मृतक वसीयतकर्त्ता के विरासत के नामान्तकरण की जानकारी वसीयतग्रहता को होना भी स्पष्ट है।साथ ही अप्रार्थी (वादीगण) ने वाद पत्र में उक्त प्रकार का कथन किया है। जिससे यह इगिंत होता है कि उनको भी उक्त वसीयत की जानकारी थी। इसके बावजूद भी वसीयतग्रहयता (वादीगण के पिता) द्वारा विरासत के नामान्तकरण के संबंध में कोई कार्यवाही नही करना वसीयत के संबंध में पुत्रों को नही बताना एवं सहमति से बंटवारा करवा लेना वसीयत की वैधानिकता पर प्रथम दृष्टया संदेह उत्पन्न करता है एवं वसीयत होने के व वसीयतकर्त्ता एवं वसीयतग्रहता की मृत्यु के बहुत वर्ष बाद वसीयत के आधार पर कार्यवाही चाहना इस संदेह को ओर गहराता है।साथ ही वसीयत की जानकारी अप्रार्थी (वादीगण) को उनके पिता की मृत्यु से पूर्व होना भी जाहिर होता है।इस प्रकार सदंर्भित प्रकरण में वाद कारण संबंधी कथन भी भ्रामक प्रतीत होता है ऐसे में प्रथम दृष्टया वसीयत की वैधानिकता निर्धारित करने के उपंरात ही अग्रिम कार्यवाही करना न्यायोचित है। इस न्यायालय द्वारा वसीयत की वैधानिकता का निर्धारण करना विधि द्वारा बाधित है।इस संबंध में RRT 2016(2) *1099 BOR Ajmer* में माननीय न्यायालय के स्पष्ट अभिमत इस प्रकार का व्यक्त किया है एवं साथ ही सीजे 2020(2) CIV.SC 346 पैरा 13 सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश 7 नियम 11 व्याप्ति चार्तुयपूर्ण लेखन जो वाद करण के भ्रम जाल का सृजन करते है, उनकी अनुमति विधि नही देती है।अपेक्षित यह है कि वाद पत्र में स्पष्ट रूप से अधिकार निर्मित होना चाहिए, यह न्यायिक दृष्टांत भी प्रकरण में चस्पा होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वाद सशर्त्त खारिज किया जाता है कि वादी सक्षम सिविल न्यायालय से संदर्भित

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

सीयत आधारित विरासत निर्धारित करवाने के पश्चात उद्घोषणा का दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner